

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्यालय आदेश

का0आ0सं0-5/अ0प्र0-01-32/2025

355

/पटना, दिनांक- 3.7.25

श्रीमती पूनम सिन्हा, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अवर प्रमंडल, पारु, कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर पश्चिम सम्प्रति कार्य अवर प्रमंडल, ताजपुर, कार्य प्रमंडल, समस्तीपुर को बिहार सेवा संहिता के नियम-220 में सन्निहित प्रावध के आलोक में दिनांक-08.04.2025 से 04.10.2025 तक उपभोग किये जाने वाले कुल 180 दिनों का अवकाश अवधि को मातृत्व अवकाश (Maternity Leave) के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त अवकाश अवधि में श्रीमती पूनम सिन्हा, सहायक अभियंता को परिवहन भत्ता देय नहीं होगा।

3. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

(कुमार अनिल सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-5/अ0प्र0-01-32/2025

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-महालेखाकार का कार्यालय, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-5/अ0प्र0-01-32/2025 7227

/पटना, दिनांक-3.7.25

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव के आप्त सचिव/मुख्य अभियंता-05, मुजफ्फरपुर/मुख्य अभियंता-06, दरभंगा/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मुजफ्फरपुर/समस्तीपुर/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर पश्चिम/समस्तीपुर/ श्रीमती पूनम सिन्हा, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अवर प्रमंडल, पारु, कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर पश्चिम सम्प्रति कार्य अवर प्रमंडल, ताजपुर, कार्य प्रमंडल, समस्तीपुर एवं आई0 टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

9